राजस्व रेफरेन्स संख्या : 58/2011

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील फागी, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

कजोड पुत्र श्री धासी, जाति–रैगर, निवासी–डाबिच गूजरान, तहसील–फागी।

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. श्री आर0एल वर्मा, अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 29.10.2018**

तहसीलदार, फागी द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम डाबिच की आराजी खसरा नम्बर 408/1709 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नाडा दर्ज है, अप्रार्थी कजोड की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 अनुसार दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकीन नाडा आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिना लगानी गैर–मुमकीन नाडा दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता श्री विजय चाहर का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम डाबिच की आराजी खसरा नम्बर 408/1709 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नाडा दर्ज है, अप्रार्थी कजोड की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी

अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी ख0न0 408/1709/4 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम डाबिच कजोड पुत्र धीस्या कौम रैगर को आवंटन कमेटी के आवंटन आदेश दिनांक 21.05.1992 द्वारा नियमों के विपरीत अवैध रूप से आवंटित की गई है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 में यह आराजी गैर–मुमकीन नाडा दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन दिनांक 21.05.1992 को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 प्रभावी थे। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 राज्य सरकार द्वारा बनाये गये है और ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावशील हुए है। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नाडा भूमि का दिनांक 21.05.1992 को कजोड पुत्र धीस्या कौम रैगर को आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री आर0एल वर्मा का कथन है कि विवादग्रस्त आराजी का आवंटन अप्रार्थी कजोड के हक में राजस्व कैम्प दिनांक 21.05.1992 में हुआ है और आवंटी को तहसीलदार द्वारा कब्जा दिया गया है। अप्रार्थी का कब्जा–काश्त है। मौके पर कोई नाडा नही है। राजस्व अभिलेखो में वर्तमान में भूमि की मृदा [illegible] द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना किये जाने के फलस्वरूप [illegible] पाये जाने पर तहसीलदार [illegible]

है। रेफरेन्स एक दीर्घ अवधि के पश्चात् किया गया है जिसका कोई आधार नही है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम डाबिच की आराजी खसरा नम्बर 408/1709 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नाडा दर्ज है। अप्रार्थी कजोड की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकीन नाडा आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। बरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन दिनांक 21.05.1992 को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकीन नाडा दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2011–2030 से होती है और इस आराजी का आवंटन कजोड पुत्र धीस्या कौम रैगर को दिनांक 21.05.1992 को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण संख्या 73 ग्राम डाबिच के कालम संख्या 14 व 16 से होती है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिना लगानी सिवायचक गैर–मुमकीन नाडा की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नाडा भूमि का आवंटन कर खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकीन नाडा भूमि का आवंटन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि आवंटी/अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के

विरुद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्था उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थ तहसीलदार, फागी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 408/1709 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नाडा दर्ज है, वाके ग्राम डाबिच आवंटन दिनांक 21.05.1992 बहक कजोड पुत्र धीस्या, कौम रैगर को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं इसके पश्चात् निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक गैर–मुमकीन नाडा दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 18.12.2018 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.10.2018 को सुनाया गया।

29/10/18

(नरेश कुमार मालव)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर